क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

बजरंग भवन, नमनाकला, रिंगरोड़, अंबिकापुर (छ.ग.) फैक्स / फोन नं. 07774-236438

5967
24-7-13

क्रमांक– /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2013 अंबिकापुर/दिनांकः–

प्रति,

1 कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय, बैकुंठपुर जिला–कोरिया
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, बैकुंठपुर, जिला–कोरिया
3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया
5 सरपंच, ग्राम पंचायत–घाघरा, चरवाही, पसौरी, केलुआ, देहुली, डुगला एवं केल्हारी, कोरिया

विषय– भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् **मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन), सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन** के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई के कार्यवाही विवरण को सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित करने बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन), सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन** के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई **दिनांक 03/07/2013** को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बैकुंठपुर, जिला–कोरिया की अध्यक्षता में **माहुल पत्ता प्रसंस्करण केन्द्र केल्हारी, तह.–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.)** में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण को ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानो के अनुसार सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित करने बावत् संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही विवरण को नोटिश बोर्ड में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक– 295/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2013 अंबिकापुर/दिनांक 06/07/2013

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर की ओर **मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन), सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन** के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03/07/2013 को आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण की हार्ड कॉपी आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं साफ्ट कॉपी मण्डल के बेवसाईट में अपलोडिंग हेतु कृपया प्रेषित।
2. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर में सहजदृश्य प्रदर्शित करने हेतु।

S.E. (T) (R) (B)/E.E. I-II/ch.ch.
A.E./S.O. Ad./S.O./A/c.
APRO.
Member Secretary

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अम्बिकापुर

EE
24/7

RKW 25/7/13

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन) द्वारा सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 03/07/2013,, दिन–बुधवार, स्थान– माहुल पत्ता प्रसंस्करण केन्द्र केल्हारी, तह.–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् **मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन) द्वारा सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति** प्राप्त करने बावत् श्री ए. लकड़ा, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बैकुंठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.) की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 03/07/2013, दिन– बुधवार, स्थान– माहुल पत्ता प्रसंस्करण केन्द्र केल्हारी, तह.–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.) में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन) द्वारा सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला– कोरिया (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के TOR पत्र क्र. J-11011/105/2011- IA. II (I) दिनांक 13/07/2011 के परिपालन में उद्योग द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मण्डल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर को 29 मार्च 2013 में आवेदन प्रस्तुत किया गया। मण्डल मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 08/05/2013 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कलेक्टर महोदय कोरिया द्वारा दिनांक 24/05/2013 को उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 03/07/2013 नियत की गई। तदानुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के परिपालन में दिनांक 30 मई 2013 को द टाईम्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संस्करण एवं दैनिक नवभारत समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी। प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन हेतु पर्यावरणीय समाघात आंकलन प्रतिवेदन एवं कार्यपालिक सार की प्रतियां अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर बैकुंठपुर, जिला पंचायत कार्यालय बैकुंठपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मनेन्द्रगढ़,

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, ग्राम पंचायत कार्यालय घाघरा, चरवाही, पसौरी, केलुआ, देहुली, डुगला एवं केल्हारी, तह.–मनेन्द्रगढ़, डायरेक्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी. जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र), लिंक रोड नं. 3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल (म.प्र.), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर में रखी गई थी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि लोक सुनवाई हेतु सर्वसम्बंधितों को सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 02/07/2013 तक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में लिखित या मौखिक में कोई भी सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन के सम्बंध में परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक **श्री एस. एस. असवाल महाप्रबंधक मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई एण्ड पी डिविजन) द्वारा सोहागपुर, सी.बी.एम. ब्लॉक, एस पी (एन ई) सी.बी.एम. 2008/IV, जिला–कोरिया (छ.ग.) हेतु परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन के सम्बंध अपने सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु कहा गया।**

लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से मौखिक में निम्नानुसार सुझाव/विचार/ टीका– टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

01 **श्री कृपाल सिंह उईके, ग्राम चरवाही–** मैं मिथेन गैस के सम्बंध में जानकारी चाहता हूं यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है यदि धरती से मिथेन गैस निकाल ली जावेगी तो उर्वरता एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जमीन उत्पादन वर्धक रहेगी कि नहीं ?

02 **श्री अमर सिंह परस्ते, कोरिया–** मैं कृपाल सिंह जी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं यह जो संयंत्र प्रस्तावित है वह नहीं लगना चाहिए।

03 **श्री गोपाल शरण सिंह, पंचायत घाघरा–** क्षेत्र के छात्रों के हित में क्या सुविधाएं दी जायेगी ?

04 **श्री जिनेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम पसौरी–** प्रस्तावित परियोजना में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्था है, स्थाई समाधान बतायें ?

परियोजना का विरोध करना अच्छी बात नहीं है परियोजना लगे मैं समर्थन करता हूं। एस्सार के लोगों से निवेदन है कि आप अपना कार्य करें कोई रोक नहीं पायेगा, बाहरी लोग परियोजनाओं का विरोध करते हैं, क्षेत्र में कोई विरोध जनित दुर्घटना नहीं होना चाहिए। कम्पनी ने प्रारंम्भ में 7 पंचायतों में जो काम किये है उसकी जानकारी दी जाय। प्रस्तावित परियोजना किस स्थल पर चिंहाकित की गई है, शासकीय अथवा निजी भूमि की जानकारी दी जाय, यदि किसानों की भूमि होना है तो उस पर उचित मुआवजा दिया जाये। खनन होने से बहुत सारे खनन कार्य में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होगा जिससे फसल प्रभावित होगी। मैं परियोजना का समर्थन एवं सहयोग करता हूं ।

06 **श्री पोषण कुमार आयाम, ग्रामपंचायत डुगला** – किसी भी परियोजना अथवा उद्योग हेतु ग्रामपंचायत से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जहां–जहां उद्योग, कम्पनी खुले हैं, वहां के सामाजिक मूल्य अस्त–व्यस्त हो गये हैं इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। जमीन नहीं होने से लोग अन्न को तरसेंगे। औद्योगिकीकरण से मंहगाई बढेगी। प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा।

07 **श्रीमती सुखमन्ति सिंह** – यह आदिवासी क्षेत्र है यहां कम्पनी नहीं लगना चाहिए, यह जल, जंगल, जमीन हमारी है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए क्योंकि उद्योग लगने से होने वाले परिवर्तनों के कारण हमसे पैसा लेकर पीने के लिऐ पानी दिया जायेगा।

08 **श्री रामसिंह मरकाम, ग्राम बिहारपुर**– वन भूमि विधेयक दिनांक 15.12.2006 को पास हुआ है जिसके अनुसार जल, जंगल, जमीन को ग्रामसभा के अधीन किया गया है, जबतक ग्रामसभा द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कोई उद्योग नहीं लग सकता। यदि ग्रामसभा जमीन देना चाहे, ग्रामसभा में प्रस्ताव पास करे।

09 **श्रीमती असोतिया बाई, ग्राम घाघरा**– कम्पनी ग्रामसभा से अनुमति ले, हम अनुमति नहीं देंगे, कम्पनी लगने से हमें वनोपज नहीं मिलेगी। यह पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा।

10 **श्रीमती इलिसबा ग्राम केल्हारी**– मैं यह उद्योग नहीं लगने देना चाहते हैं क्योंकि मुआवजा हमें मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा, जबकि जमीन हमारी आने वाली पीढ़ी के भी काम आयेगी।

11 **श्रीमती तीजन बाई** – हमें यहां पर बोनस वितरण के लिए बुलाया गया है, जिसका वितरण नहीं किया जा रहा है।

अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री एस.एस. असवाल महाप्रबंधक द्वारा कोल बेड मिथेन की खोज एवं परीक्षण उत्पादन के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से पीठासीन अधिकरी एवं उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

01 मिथेन गैस के दोहन से भूमि की ऊपरी सतह एवं मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।

02 परियोजना के आने से क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक विकास होगा साथ ही नये ऊर्जा स्त्रोत का सृजन होगा। अतः यह परियोजना आने से लोगों को लाभ ही मिलेगा।

03 कम्पनी अपने सामाजिक दायित्व नीति (सी.एस.आर.) के तहत् स्थानीय स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग एवं ग्रामपंचायत के परामर्श से कार्य करेगें।

04 कम्पनी की रोजगार नीति के तहत् स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर देने पर विचार किया जावेगा।

05 कम्पनी आपके विचारों का स्वागत करती है। कम्पनी आपके द्वारा उठाये गये प्रश्नों से ग्रामपंचायत को अवगत कराने के पश्चात् ही कार्य किये जावेंगे।

06 ग्रामपंचायत से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कम्पनी कार्य प्रारम्भ करेगी। इस परियोजना में किसी बहुत बड़े भू–भाग पर फैक्टरी नहीं लगाई जायेगी, इस परियोजना में छोटे–छोटे भू–भाग पर छोटे–छोटे कूप होंगे। जिसमें एक–दूसरे से लगभग 08–10 किमी. की दूरी पर कोर होल होंगे साथ ही परीक्षण उत्पादन हेतु एक कूप से दूसरे कूप की दूरी 700–800 मीटर की होगी। इस परियोजना से भूमि के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित नहीं होगा। इस परियोजना के आने से क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा एवं स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह परियोजना प्राकृतिक संसाधनो का मानव जीवन के लिये उपयुक्त उपयोग है इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

07 कम्पनी वन भूमि विधेयक 15.12.2006 में दिये गये सभी निर्देशों का कार्य करते समय पूर्णतः पालन करेगी।

लोकसुनवाई के स्थल पर लिखित में 01 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं
प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर स
स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया । लोक सुनवाई के दौरान 11 व्यक्तियों द
मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनव
दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि
अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपसि
पत्रक पर कुल 138 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के सम
कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई। अंत में लोकसुनवाई समापन की घोष
की गई ।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बैकुंठपुर, जिला–कोरिया